

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 1997

संख्या जे0 डी0-97/13575- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा बिनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाए गए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव भौंडसी, जिला गुड़गांव के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र संख्या III और IV घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव भौंडसी, जिला गुड़गांव के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र III और IV की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी)-515/94, दिनांक 6 जून, 1994 के साथ पढ़ा जाए:-

उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम:- इसमें गांव भौंडसी, जिला गुड़गांव की राजस्व सम्पदा के आयत संख्या 178,179,184,185 तथा आयत संख्या 214 शामिल है।

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th August, 1997

No. JD-97/13575- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the governor of Haryana declares the area around Govt. Senior Secondary School at village Bhondsi, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area No. III and IV for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area III and IV around Govt. Senior Secondary School at village- Bhondsi, Distt. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 515/94 dated 6st June, 1994.

North, South, East & West: It comprises of rectangle Nos. 178,179,184,185 and Rectangle No. 214 revenue estae of village Bhondsi, Distt. Gurgaon.

BHASKAR CHATTERJEE

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.